प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास–खण्ड डुण्डा में डुण्डा कुराह मोटर मार्ग से जखारी गांव होते हुए बल्ला गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण (पुनरीक्षित) प्रस्ताव।

जनपद उत्तरकाषी के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत डुण्डा कुराह मोटर मार्ग का जखारी गांव होते हुए बल्ला गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण किया जाना है। जखारी डुण्डा ग्राम का एक तोक है, जो कि डुण्डा ब्लॉक से केवल 4.00 किमी0 की दूरी पर होने के बाद भी अभी तक मोटर मार्ग से नही जुड़ पाया है। मोटर मार्ग के अभाव मे ग्रामवासियो को यह दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती है, जिस कारण ग्रामवासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड की धोषणा संख्या–917/2015 के उपरान्त शासन् के पत्रांक–5988/।।।(2) 15–11 (मु0मं0धो0)/2015 दिनांक 18.08.2015 द्वारा डुण्डा कुराह मोटर मार्ग का जखारी गांव होते हुए बल्ला गांव तक मोटर मार्ग (7.00 किमी0) का नव निर्माण कार्य के प्रथम चरण हेतु रू0 31.36 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के 7.00 किमी0 लम्बाई में तथा डुण्डा कुराह मोटर मार्ग का जखारी गांव होते हुए बल्ला गांव तक निर्माण हेतु 5.117 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। जिसका प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/28906/2017 है। दिनांक 29.07.2019 में सम्पन्न आर0ई0सी0 कमैटी की बैठक तथा कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक– 2074/ FP/UK/ROAD/28906/2017 देहारदून दिनांक 13.02.2020 द्वारा प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है तथा पुनः केवल जखारी (बैठक के कार्य वृत्त में गलती से ओल्या लिखा गया है, जबकी प्रदर्शित निर्देशांक जखारी के है) तक प्रस्ताव को पुर्नरीक्षित करने हेतु लिखा गया है। जिसके कम में पुनः संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही वन विभाग, राजस्व विभाग तथा लो0नि0वि0 उत्तरकाशी द्वारा 04.06. 2020 से 07.06.2020 के बीच किया गया। मोटर मार्ग में वृक्षो की गणना 7.00 मीटर चौड़ाई में किया गया, जिसके समरेखण में 2.625 किमी0 में आरक्षित वन भूमि, 0.375 किमी0 में सिविल सोयम भूमि तथा 0.425 किमी0 में नाप भूमि आती है। आरक्षित वन भूमि में दो डम्पिंग स्थल हेतु 0.20 है0 चयनित की गई है तथा एक डम्पिंग स्थल हेतु 0.10 है0 नाप भूमि में लिया गया है। संयुक्त निरीक्षण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.84 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.26 है0 सिविल वन भूमि, 0.38 है0 नाप भूमि आ रही है। इस प्रकार मोटर मार्ग में कुल 2.04 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.26 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.48 है0 नाप भूमि की आवश्यकता होगी। मोटर मार्ग के निर्माण में विभिन्न प्रजाति के 437 वृक्ष पड. रहे है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु उक्त वृक्षो को पातन किया जाना अति आवश्यक है।

वैकल्पिक समरेखण में मार्ग की लम्बाई 4.50 किमी0 आती है। जिसमें मोटर मार्ग के निर्माण करने पर 2.84 है0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी, अधिक वन भूमि के प्रभावित होने के कारण 502 वृक्ष के भी प्रभावित होने की सम्भावना है। इस समरेखण के बीच में 300 मी0 लम्बाई में उद्यान विभाग की भूमि भी आ रही है, जिसके कारण 0.21 है0 उद्यान विभाग की भूमि भी प्रभावित होगी। इस समरेखण मे मोटर मार्ग की लम्बाई अधिक आने के साथ–साथ अधिक वन भूमि भी प्रभावित हो रही है, साथ ही उद्यान विभाग की भूमि भी आ रही है। इस समरेखण पर ग्रामवासियों द्वारा भी असहमती है। जिस कारण इस समरेखण को निरस्त कर दिया है।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के उपरान्त जखारी को यातायात की सुविधा मिलेगी तथा गांव विकास खण्ड़ डुण्डा से जुड़ जायेगा। मोटर मार्ग निर्माण कार्य में पड़ने वाली वन भूमि 2.30 है0 का विवरण निम्न प्रकार है।

मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि — 1.84 हे0

मार्ग निर्माण हेतु सिविल वन भूमि — 0.26 हे0

डम्पिंग जोन हेतु आरक्षित वन भूमि — 0.20 हे0

कुल वन क्षेत्रफल — 2.30 हे0

उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव चेक लिस्ट के आधार पर गठित किया गया है। अतः मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.30 है0 वनभूमि लो0नि0वि0, उत्तरकाशी के पक्ष में हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी

वन क्षेत्राधिकारी
डुण्डा वन राजि